इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या: 13 अंक संख्या: 12 जुलाई, 2021 पृष्ठों की संख्या 18

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबंधित नीतियाँ ---------- 4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 6
आर्थिक संवेष्टन ----------7
विदेशी मुद्रा ---------- 8
शब्दावली----------9
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------9
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------10
संस्थान समाचार ----------10
नयी पहलकदमी ----------14
बाजार की खबरें ----------14

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

बैंकों को 2016 की विमुद्रीकरण अवधि से सीसीटीवी फुटेज नहीं मिटाना है : भारतीय रिजर्व बैंक

नए करेसी नोटों के अवैध संचय आदि जैसी अवैध गतिविधियों के विरुद्ध प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच-पड़ताल किए जाने में उनकी सहायता करने के प्रयास में शीर्ष बैंक ने बैंकों से 08 नवंबर, 2016 से लेकर 30 दिसंबर, 2016 तक के उनके शाखा परिचालनों एवं मुद्रा-तिजोरियों के सीसीटीवी फुटेज न मिटाने के लिए कहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एटीएम लेनदेनों के शुल्क बढ़ाए गए

जून, 2019 में गठित एक समिति की सिफ़ारिशों पर कार्रवाई करते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम लेनदेनों के लिए परस्पर-विनिमय शुल्क को 1 अगस्त, 2021 से बढ़ाए जाने की अनुमति दे दी है। उक्त परिवर्तनों के अनुसार प्रति वित्तीय लेनदेन परस्पर-विनिमय शुल्क 15 रुपए से बढ़कर 17 रुपए हो जाएगा, जबकि गैर-वित्तीय लेनदेनों के लिए यह सभी केन्द्रों में 5 रुपए से बढ़कर 6 रुपए हो जाएगा। यह बढ़ोतरी लगभग 9 वर्षों की अवधि के बाद हो रही है तथा यह एटीएम अभिनियोजन और उसके रख-रखाव की उच्च लागतों को ध्यान में रखते हुये की गई है।

साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर की शुरूआत की

गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी के कारण वित्तीय हानि के जोखिम से निपटने तथा एक सुरक्षित डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराने के लिए सिटिजन फाइनैन्सियल साइबर फ़्राड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम नामक एक तदनुरूपी रिपोर्टिंग प्लेटफार्म के साथ राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 की शुरूआत की है। उक्त पहलकदमी को भारतीय रिजर्व बैंक, सभी बड़े बैंकों और आनलाइन व्यापारियों से समर्थन प्राप्त हुआ है। बैंकों, वित्तीय मध्यवर्तियों तथा कानून प्रवर्तक एजेंसियों को साझे फ़लक पर लाने के लिए सिटिजन फाइनैन्सियल साइबर फ़्राड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम का विकास 14 सी के नाम से जाने जाने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय कक्ष (इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेल) द्वारा किया गया है। उक्त हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफार्म जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सभी बैंकों का समावेश है, वर्तमान में सात राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में कार्यरत है। इसके आगे के विस्तार पर कार्य चल रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से स्वर्ण ऋण की चुकौती आंशिक रूप से भौतिक सोने में स्वीकार करने हेतु कहा

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को आभूषण निर्यातकों/स्वर्ण आभूषणों के घरेलू विनिर्माताओं को उनके स्वर्ण ऋणों (GML) की आंशिक चुकौती 1 किलोग्राम अथवा उससे अधिक के लाट में भौतिक सोने में करने की अनुमति देने का निदेश दिया है। अलबत्ता यह अनुमति इन शर्तों पर प्रदान की जा सकती है कि उक्त स्वर्ण धातु ऋण (GML) स्थानीय तौर पर खरीदे गए/स्वर्ण मुद्रीकरण यीजना (GMS) से सम्बद्ध सोने के समक्ष प्रदान किया गया हो तथा चुकौती स्थानीय तौर पर प्राप्त इंडिया गुड डिलिवरी मानक (IGDS) / एलजीडीएस/एलबीएमए के गुड डिलिवरी मानक सोने से की जाती हो।

वित्तीय स्थिरता अक्षुण्ण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की अनर्जक आस्तियां मार्च, 2021 के 7.48% से बढ़कर 2022 में 9.8% हो सकती हैं। मध्यम दबाव वाले मामले में सकल अनर्जक आस्ति

अनुपात (GNPA) के अग्रिमों के 6.5% से बढ़कर 10.4% हो जाने की आशा है तथा गंभीर दबाव वाले परिदृश्यों में सकल अनर्जक आस्तियां बढ़कर अग्रिमों के 11.2 % तक हो सकती हैं। मांग पक्ष में बड़े निगम अधिक उधार नहीं ले रहे हैं, बैंकिंग एक्सपोजर छोटी गैर-वित्तीय कंपनियों की दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि, उक्त रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि ऋणदाताओं ने अपने तुलनपत्रों पर किसी और अधिक दबाव को रोकने के लिए अपनी पूंजी और चलनिधि स्थितियों को पुनर्प्रबलित करके अपने आप को सुरक्षित कर लिया है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में लाभांश अदायगियों को अशोध्य ऋणों से जोड़ा

व्यवहार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में लाभांश घोषित किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। जनता से जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में लाभांश अनुपात को 50 से 60% के बीच सीमित कर दिया गया है। तथापि, लाभांश की घोषणा किए जाने से पहले पाई गई अनर्जक आस्तियों की न्यून रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की अनर्जक आस्तियां 15% की न्यूनतम पर्याप्तता के साथ तीन उत्तरवर्ती वर्षों से 6% से कम होनी चाहिए। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के उक्त मानदंड पूरा किए जाने पर वह तब भी उस वित्त वर्ष में उसका निवल अनर्जक आस्ति अनुपात 4% से कम होने की स्थिति में 10% की सीमा की शर्त पर लाभांश अदायगी के लिए पात्र हो सकती है।

बाह्यश्रोतीकरण से पैदा होने वाले जोखिमों का प्रबंधन करने में सहकारी बैंकों की सहायता करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशानिर्देश जारी किए

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों की उन जोखिमों, जो वित्तीय सेवाओं के बाहर से करवाने से पैदा हो सकते हैं, का प्रबंधन करने में सहायता करने हेतु

दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया है। हालांकि, ये दिशानिर्देश प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दों पर लागू नहीं होते। नए मानदंडों के अनुसार सभी वर्तमान एवं संभाव्य बाह्यस्रोतीकरण गतिविधियों के जोखिमों और उनकी पार्थिवता का मूल्यांकन करने के लिए सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधन उत्तरदाई होंगे। बैंक को बाहर से करवाये गये कार्यकलापों का अंतिम नियंत्रण अपने पास रखना होगा। सहकारी बैंकों के लिए आगामी छ: माह के भीतर उनकी वर्तमान गतिविधियों का स्व-मूल्यांकन करना होगा तथा उन्हें दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाना होगा। सहकारी बैंकों को कारबार संपर्कियों (BCs) और उनके खुदरा बिक्री केन्द्रों/ उप-एजेन्टों सहित उनके सेवा-प्रदाता के कार्यों के लिए उत्तरदाई होना पड़ेगा। यदि किसी सेवा-प्रदाता की संविदा समय-पूर्व समाप्त की जाती है, तो उक्त समापन के कारणों की सूचना भारतीय बैंक संघ (IBA) को देनी होगी। सभी बैंकों को उसके प्रति सजग रहने में समर्थ बनाने हेतु भारतीय बैंक संघ ऐसे सेवा-प्रदाता की सतर्कता-सूची अनुरक्षित करेगा।

प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों, पूर्णकालिक निदेशकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों (MDs) और पूर्णकालिक निदेशकों (WTDs) के लिए "योग्य और उपयुक्त" मानदंड हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार सांसद, विधायक और नगर निगमों के प्रतिनिधि तथा उनके साथ ही व्यवसाय, व्यापार में संलग्न अथवा किसी कंपनी में पर्याप्त हित रखने वाले व्यक्ति प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों में ऐसे पदों पर कार्य करने के पात्र नहीं होंगे। प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक को 35 से 70 वर्ष के बीच की आयु वाला होना चाहिए तथा उसे स्नातकोत्तर अथवा वित्त विद्या में अर्हता रखने वाला अथवा बैंकिंग या सहकारी व्यवसाय प्रबंधन में डिप्लोमा धारक होना चाहिए। उक्त व्यक्ति का सम्मिलित अनुभव (संबन्धित शहरी सहकारी बैंक सहित) बैंकिंग क्षेत्र अथवा उधार देने और आस्ति वित्तीयन मे संलग्न गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में मध्यम/वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर कम से कम आठ वर्ष होना चाहिए। कोई व्यक्ति प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक के रूप में अधिकतम 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जा सकता है तथा वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा किन्तु उक्त पद पर 15 वर्ष से अधिक नहीं रहा जा सकता।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त करने की अनिवार्यता

5,000 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक के आस्ति आकार वाले सभी शहरी सहकारी बैंकों के लिए उनके व्यवसाय प्रोफाइल और रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप एक उपयुक्त जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित करने पर उनका ध्यान केन्द्रित रखने के अपेक्षाकृत बड़े कार्य के एक अंग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक मुख्य जोखिम अधिकारी (CRO) की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। बोर्ड को मुख्य जोखिम अधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों का सुस्पष्ट रूप से निर्धारण करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य करे। मुख्य जोखिम अधिकारी को प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा बोर्ड या फिर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (RMC) को सीधे रिपोर्ट करने का अधिकार होना चाहिए।

अगस्त के अंत तक भारत बिल भुगतान प्रणाली में मोबाइल पूर्व-प्रदत्त रिचार्ज सुविधा शामिल होगी

भारतीय रिजर्व बैंक एक बिलर श्रेणी के रूप में मोबाइल पूर्व-प्रदत्त रिचार्ज को जोड़ते हुये भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) के कार्य-क्षेत्र में विस्तार कर रहा है। उक्त मुहिम से देश के लाखों पूर्व-प्रदत्त फोन अभिदाताओं/ग्राहकों को सहायता प्राप्त होने की संभावना है। प्रारम्भ में भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से आवर्ती बिलों का भुगतान करने की सुविधा केवल पाँच खंडों- डायरेक्ट तू होम (DTH), बिजली, गैस, दूर-संचार और जल में उपलब्ध थी। सितंबर, 2019 में आवर्ती बिल बनाने वाले बिलरों की सभी श्रेणियों को स्वैच्छिक आधार पर पात्र सहभागियों के रूप में शामिल करने हेतु विस्तारित किया गया। हालांकि, मोबाइल पूर्व-प्रदत्त रिचार्ज को इस सूची में शामिल नहीं किया गया था। अब 31 अगस्त और उसके बाद से इस प्लेटफार्म के जरिये मोबाइल पूर्व-प्रदत्त रिचार्जों की भी अनुमति होगी।

आर्थिक संवेष्टन

अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने हेतु सरकार का राजकोषीय पैकेज :

अर्थव्यवस्था को तबाह करती कोविड की दूसरी लहर की पृष्ठभूमि में वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुनरुज्जीवित करने, स्वास्थ्य रक्षा में निजी निवेश को बढ़ाने तथा बच्चों के लिए स्वास्थ्य-रक्षा की मूलभूत सुविधा को सुदृढ़ बनाने में सहायता करने हेतु 6.3 ट्रिलियन रुपए के एक पैकेज की घोषणा की है । महामारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 ट्रिलियन रुपए की ऋण गारंटिया निश्चित की गई हैं ; जिसमें से 60,000 करोड़ रुपए की रकम यात्रा एवं पर्यटन जैसे क्षेत्रों के लिए आरक्षित रखी गई है, जिसका ब्याज 8.25% पर सीमित कर दिया गया है। स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा के मात्रात्मक लक्ष्यों को छोडकर शेष 50,000 करोड़ रुपए की रकम गैर-महनगरीय केन्द्रों में चिकित्सा की मूलभूत सुविधा के लिए अलग रखी गई है।

सरकार सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) को 1.25 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को गारंटियाँ भी उपलब्ध कराएगी। इससे लगभग 2.5 मिलियन छोटे उधारकर्ताओं को सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि ब्याज दर को एमसीएलआर + 2% पर सीमित कर दिया गया है। उक्त योजना 31 मार्च, 2022 अथवा 7,500 करोड़ रुपए की गारंटियाँ समाप्त हो जाने, इनमें से जो भी पहले हो, तक उपलब्ध होगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 31 मार्च, 2022 तक छ: माह के लिए बढ़ा दिया गया है।

मुख्य आर्थिक संकेतकों का कार्यनिष्पादन

- अप्रैल, 2021 माह में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति 4.23% घटकर तीन माह के निचले स्तर पर पहुँच गई।
- मुख्यत: आधार मूल्य प्रभाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण मई, 2021 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) 12.94% के उच्च स्तर पर पहुँच गया।

- कमतर आधार प्रभाव के कारण अप्रैल, 2021 माह के लिए 2011-12 के आधार सहित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के त्वरित अनुमान 126.6 पर स्थिर रहे।
- मई, 2021 की माल एवं सेवा कर की वसूली 1.03 करोड़ रुपए रही, जो 8वीं उत्तरवर्ती अवधि के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रही।
- डीपीआईआईटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्षानुवर्ष आधार पर 38% बढ़ कर अप्रैल, 2021 में 6.24 बिलियन अमरीकी डालर रहा।
- भारत का निर्यात बढ़कर 32.27 बिलियन अमरीकी डालर हो गया अर्थात मई, 2021 में बढ़ कर वह 69.35% हो गया।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	25 जून, 2021 के दिन बिलियन रुपए	25 जून, 2021 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	4519253	608999
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	4201958	566240
(ख) सोना	269344	36296
(ग) विशेष आहरण अधिकार	11119	1498
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	36832	4965

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

जुलाई, 2021 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.19800	0.33500	0.56840	0.78500	0.95300
जीबीपी	0.16520	0.3742	0.5125	0.6204	0.7029
यूरो	-0.49000	-0.450	-0.380	-1.314	**-0.240**

जापानी येन	-0.03560	-0.013	0.005	-0.010	-0.001
कनाडाई डालर	0.58000	0.83700	1.088	1.307	1.458
आस्ट्रेलियाई डालर	0.13200	0.290	0.500	0.728	0.940
स्विस फ्रैंक	-0.66250	-0.625	-0.545	-0.458	-0.360
डैनिश क्रोन	-0.10720	-0.0835	-0.0315	0.0289	0.0981
न्यूजीलैंड डालर	0.54000	0.803	1.028	1.215	1.380
स्वीडिश क्रोन	-0.01000	0.085	0.200	0.291	0.400
सिंगापुर डालर	0.31000	0.510	0.770	**0.970**	1.080
हांगकांग डालर	0.24500	0.340	0.540	0.740	0.900
म्यामार	1.99000	2.180	2.380	2.550	2.650

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

परस्पर विनिमय शुल्क (Interchange fee)

अंतर-बैंक एटीएम नेटवर्क नकदी आहरण तथा शेषराशि की जानकारी जैसी मूलभूत सेवाओं के लिए किसी एक बैंक के एटीएम कार्डों के अन्य बैंकों के एटीएमों में उपयोग को सुगम बनाते हैं। एटीएमों के स्वामी/मालिक बैंक अन्य बैंकों के ग्राहकों को एटीएम सुविधा प्रदान करने के लिए एक शुल्क वसूल करते हैं। ''परस्पर विनिमय शुल्क'' कहा जाने वाला यह शुल्क एटीएम परिनियोजित करने/लगाने वाले बैंक द्वारा कार्ड जारीकर्ता बैंकों से वसूल किया जाता है। अपेक्षाकृत बड़े एटीएम नेटवर्क रखने वाले बैंक इस परस्पर विनिमय शुल्क को राजस्व की एक महत्वपूर्ण धारा मानते हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

विकृति (Skewness)

सांख्यिकी में विकृति (skewness) संभाव्यता वितरण में पाई जाने वाली असममिति (asymmettry) का अंश (degree) होती है। वितरण भिन्न--भिन्न अंशों में दायीं (सकारात्मक) विकृति या बायीं (नकारात्मक) विकृति दर्शा सकता है। कोई सामान्य वितरण (घंटा वक्र/bell curve) शून्य विकृति दर्शाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जुलाई, 2021 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उधार तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अग्रिमों की पुनरसंरचना	15 से 17 जुलाई, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा तथा साइबर अपराधों की रोकथाम	19 से 20 जुलाई, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक	21 से 23 जुलाई, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के माध्यम से द्बावग्रस्त आस्तियों का समाधान	26 से 27 जुलाई, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
निर्यात ऋण प्रबंधन	26 से 27 जुलाई, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र	27 से 29 जुलाई, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित खजाना व्यावसायिक	10 से 12 अगस्त, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

जेएआईआईबी/ बैंकिंग और वित्त में डिप्लोमा/ एसओबी परीक्षाओं का स्थगन

मई 2021 माह में निर्धारित जेएआईआईबी/ बैंकिंग और वित्त में डिप्लोमा/ एसओबी परीक्षाएँ स्थगित कर दी गई हैं और उनके कोविड-19 की स्थिति पर निर्भर करते हुये जून, 2021 में आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षाओं की संशोधित तिथि बाद में घोषित की जाएगी तथा वह वेबसाइट पर सूचित की जाएगी। उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए पुन: पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है। परीक्षा की पुनर्निर्धारित तिथि के लिए उनके आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

मई/जून, 2021 परीक्षाओं से संशोधित सीएआईआईबी के चयनात्मक विषय

संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सीएआईआईबी के चयनात्मक विषयों की संख्या 11 विषयों से घटाकर 6 विषय कर दी गई है। मई/जून 2021 और उसके बाद से संचालित परीक्षाओं के लिए छः चयनात्मक विषय यथा - खुदरा बैंकिंग, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, केंद्रीय बैंकिंग, ग्रामीण बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन उपलब्ध कराये जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से ही ग्यारह में से कोई भी एक ऐसा चयनात्मक विषय चुन रखे हैं, जो मई/जून, 2021 की परीक्षाओं से हटा दिये गए हैं, उन्हें ऊपर वर्णित 6 चयनात्मक विषयों में से कोई भी एक विषय चुनना होगा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हटाये गए चायनात्मक विषयों में से किसी विषय को लेकर सीएआईआईबी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें उत्तीर्ण विषय की मान्यता कायम रखने की अनुमति होगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in. देखें।

जीएआरपी, यूएसए के साथ सहयोग

संस्थान ने जेएआईआईबी अथवा सीएआईआईबी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 300 अमरीकी डालर के बट्टाकृत शुल्क पर वित्तीय जोखिम एवं विनियमन (FRR) पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु ग्लोबल एसोसिएशन आफ रिस्क प्रोफेशनल (GARP), संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। उक्त वित्तीय जोखिम एवं विनियमन पाठ्यक्रम जोखिम प्रबंधन अर्थात ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम तथा आस्ति और देयता प्रबंधन (ALM) के मुख्य पहलुओं पर विहगावलोकन उपलब्ध कराता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के साथ सहयोग

संस्थान ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए "नेतृत्व विकास कार्यक्रम (Leadership Development Program)" संचालित करने हेतु एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के साथ सहयोग का एक करार किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैंकों में अच्छे प्रबन्धकों को

मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ एक प्रभावी अग्रणी (leader) के रूप में रूपांतरित करना है। प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से सप्ताह के अंत में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम की अवधि 36 घंटों की होगी, जो 6 सप्ताहों तक विस्तारित होगी। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ

संस्थान ने परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ (Remote Proctored) आरंभ कर दी हैं। परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ अभ्यर्थियों को घर बैठे परीक्षाओं में शामिल होने और उसके साथ ही उनके ज्ञान के आधार को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती हैं। परीक्षाएँ दूसरे और चौथे शनिवारों तथा सभी रविवारों को आयोजित की जाती हैं। परीक्षा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण अनुदेश एवं इस विधि की परीक्षा में बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न संस्थान की वेबसाइट पर डाले गए हैं। विस्तृत जानकारी के
लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें : http://iibf.org.in/exam_related notice.asp

नया पाठ्यक्रम

संस्थान द्वारा "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016" पर विशेष बल के साथ बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान" विषय पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। पहली परीक्षा की तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। इस पाठ्यक्रम का ध्येय है बैंकिंग व्यावसायिको एवं कर्मचारियो के बीच उक्त संहिता की समझ विकसित करना, बैंकरों को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधियों
तथा किसी दिवाला समाधान प्रक्रिया में उनकी भूमिकाओं को निभाने के लिए बेहतर समझ रखने और वाणिज्यिक निर्णयों सहित उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के अत्यंत सावधानी और कर्मठता के साथ सभी हितधारकों के हित में निर्वहन के लिए उनकी सक्षमता को सुदृढ़ करने में समर्थ बनाना।

व्यावसायिक बैंकर अर्हता की शुरूआत

संस्थान एक ऐसी सुनहरी महत्वाकांक्षी अर्हता की शुरूआत करेगा जो शिक्षण एवं ज्ञान के क्षेत्र में परमोत्कर्ष का प्रतीक होगी। व्यावसायिक बैंकर के नाम से जानी जाने वाली यह अर्हता मध्यम प्रबंधन स्तर में लंबे समय से अनुभव किए जा रहे कौशल अंतर को भरने के लिए एक विशिष्ट अर्हता है और यह बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों में निर्णायक ज्ञान उपलब्ध कराएगी। व्यावसायिक बैंकर की हैसियत पाने के इच्छुक किसी बैंकर को पाँच वर्षों का अनुभव रखना जरूरी होता है। संस्थान द्वारा इस अर्हता के विवरण थोड़े ही समय में घोषित किए जाएंगे।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्याल अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय
(SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयें

बैंक क्वेस्ट" के जुलाई-सितंबर, 2021 के आगामी अंक के लिए विषय-वस्तु है:
इवोल्यूशन एंड फ्यूचर आफ माँनेटरी एंड फिस्कल पालिसीज- सब थीम : रेग्यूलेटरी फ्रेमवर्क, माँनेटरी फ्रेमवर्क, फिस्कल फ्रेमवर्क"

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान मेँ इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा

जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2021 से जुलाई, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा। (ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2020 से जनवरी, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के

लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2020 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

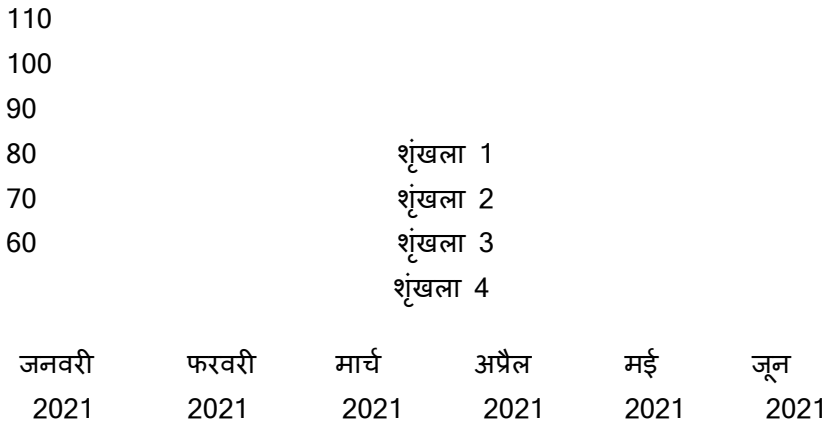

अमरीकी डालर जीबीपी यूरो येन

स्रोत : एफबीआईएल

भारित औसत मांग दरें

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड साप्ताहिक न्यूजलेटर

समग्र जमा वृद्धि %

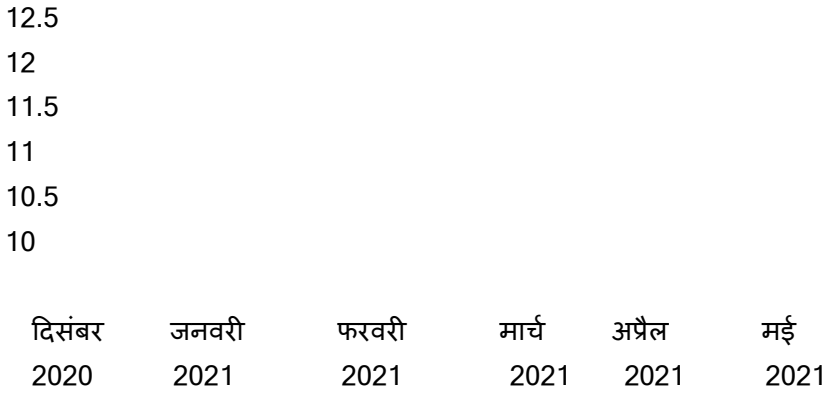

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जून, 2021

कच्चा तेल - वृद्धि %

स्रोत : पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय

बैंक ऋण वृद्धि %

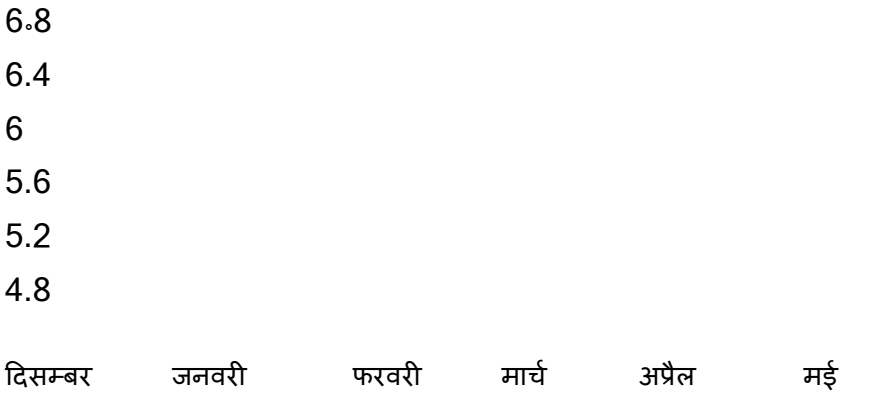

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

बंबई शेयर बाजार सूचकांक और निफ्टी 50

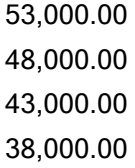

33,000.00
28,000.00
23,000.00
18,000.00
13,000.00

जनवरी 2021 फरवरी 2021 मार्च 2021 अप्रैल 2021 मई 2021 जून 2021

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

7.00
6.5
6
5.5
5

दिसंबर 2020 जनवरी 2021 फरवरी 2021 मार्च 2021 अप्रैल 2021 मई 2021

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जून, 2021

प्रारक्षित स्वर्ण निधि वृद्धि %

6
5
4
3
2
1
0
-1

-2
-3
-4

दिसम्बर 2020	जनवरी 2021	फरवरी 2021	मार्च 2021	अप्रैल 2021	मई 2021	जून 2021

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

बिश्व केतन दास द्वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : विश्व केतन दास

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in

.

आईआईबीएफ विजन जुलाई, 2021